न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः— 12/103/2024 रजू दिनांकः 12.08.2024 रजि0 न0 2024/180

अपीलार्थीः—

श्री सुधीर कुमार यादव, सहा0 प्रशासनिक अधिकारी, तहसील किशनगढ़बास, जिला खैरथल—तिजारा (राजस्थान)

प्रत्यर्थीः—

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय), जिला अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

——:: निर्णय ::——

दिनांकः— 27.08.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा—6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 05.06.2024 प्रस्तुत कर पत्र में वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 20.08.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने पत्र कमांक लो0सू0अ0/प्रथम अपील/2024/1656 दिनांक 23.08.2024 के द्वारा जवाब प्रेषित कर अवगत कराया है, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम आवेदन दिनांक 05.06.2024 के परिप्रेक्ष्य में चाही गई सूचना के संबंध में कार्यालय के पूर्व पत्रांक लो0सू0अ0/आर.टी.आई./2024/1377 दिनांक 11.07.2024 के माध्यम से संबंधित अनुभाग से प्राप्त सूचना व अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में विनिश्चय किया जाकर अपिलार्थी को भिजवाई जा चुकि है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी के द्वारा पत्रांक 1377 दिनांक 11.08.2024 के द्वारा उक्त प्रकरण में संबंधित अनुभाग से प्राप्त सूचना व अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में विनिश्य कर सूचना अपीलार्थी को प्रेषित की जा चुकि है। अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
6. उक्त आलोक में अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 27.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर अलवर
(राज0)